राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 82/2020

रामप्यारी देवी पत्नी स्व. मालाराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी चरणसिंह नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......वादिया

**ब–ना–म**

1. अनिता देवी पत्नी स्व. महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चरणसिंह नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. निशा पुत्री स्व. महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी चरणसिंह नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 नाबालिग जरिये वादमित्र अनिता देवी पत्नी स्व. महावीर प्रसाद
3. बड़ौदा क्षेत्रिय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नंगली सलेदीसिंह जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.......प्रतिवादीगण

**दावा– घोषणात्मक खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा**

**उपस्थित अधिवक्ता :–**

1. श्री गिरधारी लाल सैनी :– वादिया की ओर से
2. श्री विजयपाल सिंह :– प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 की ओर से

**:: निर्णय ::** **दिनांक 24–03–2022**

वादिया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम चरणसिंह नगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 106 के ख.नं. 855/246 रकबा 0.11 है., ख.नं. 857/271 रकबा 1.02 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है. का एकांकी खातेदार काश्तकार वादिया का पुत्र व प्रतिवादी सं. 1 का पति व प्रतिवादी सं. 2 का पिता महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम चरणसिंह नगर स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. [illegible] ख.नं. 34 रकबा 0.02 है., ख.नं. 35 रकबा 3.06 है. कुल किता 2 कुल रकबा 3.08 है. का [illegible] खातेदार काश्तकार वादिया का पुत्र व प्रतिवादी सं. 1 का पति व प्रतिवादी सं. 2 का पिता महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम चरणसिंह नगर स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 77 के ख.नं. 292 रकबा 0.15 है. में वादिया का पुत्र व प्रतिवादी सं. 1 का पति व प्रतिवादी सं. 2 का पिता महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दर्ज रिकार्ड है। ग्राम चरणसिंह नगर स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 19 के ख.नं. 247 रकबा 0.11 है., ख.नं. 248 रकबा 0.09 है., ख.नं. 249 रकबा 0.68 है., ख.नं. 251 रकबा 0.05 है., ख.नं. 252 रकबा 0.09 है., ख.नं. 253 रकबा 0.55 है., ख.नं. 255 रकबा 0.17 है., ख.नं. 256 रकबा 0.10 है., ख.नं. 257 रकबा 0.13 है., ख.नं. 259 रकबा 0.37 है., ख.नं. 260 रकबा 0.41 है., ख.नं. 261 रकबा 0.30 है., ख.नं. 721/244 रकबा 0.12 है., ख.नं. 819/254 रकबा 0.51 है., ख.नं. 821/254 रकबा 0.04 है., ख.नं. 823/258 रकबा 0.51 है. कुल किता 16 कुल रकबा 3.93 है. में वादिया का पुत्र व प्रतिवादी सं. 1 का पति व प्रतिवादी सं. 2 का पिता महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त वाद वर्णित भूमि के खातेदार महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम का देहान्त हो चुका है। महावीर प्रसाद के देहान्त के बाद उपरोक्त वर्णित भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूची वर्ग एक के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में वादिया खातेदार महावीर प्रसाद की माता होने के कारण 1/3 हिस्से की व प्रतिवादी सं. 1 व 2 1/3–1/3 हिस्से की अधिकारिणी है। वादिया को वाद पत्र की खण्ड सं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में 1/3 हिससे का व वाद पत्र के खण्ड सं. 3 में वर्णित भूमि में 1/6 का व वाद पत्र के खण्ड सं. 4 में वर्णित भूमि में 1/48 हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कानूनन अधिकार प्राप्त है और इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 का वाद पत्र के खण्ड नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा व वाद पत्र के खण्ड नं. 3 में वर्णित भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा व वाद पत्र के खण्ड नं. 4 में वर्णित भूमि में 1/48–1/48 हिस्सा है। वादिया वृद्ध महिला है जो उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने हिस्से को काश्त कर अपना भरण पोषण करती है और अपनी लड़कियों के भात, छुछक करती है प्रतिवादी सं. 1 वादिया को अपने साथ नहीं रखती है और ना ही वादिया को खाना देती है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को उक्त वाद के खण्ड नं. 1 लगा. 4 में वर्णित भूमि का नामांतकरण अपने नाम दर्ज करवाकर इसको बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादिया को उसके हिस्से [illegible] करने में बाधा पहुंचाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी सं. 1 [illegible] अपने नाम से नामांतकरण दर्ज उक्त भूमि को बेचान, रहन, दान आदि कर देती है तो वादिया अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगी जिससे वादिया को ऐसी अपूर्तनीय क्षति [illegible]गी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिये वादिया के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

वादिया के कब्जे काश्त में दख्लंदाजी ना करें व प्रतिवादी सं. 4, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नामांतकरण ना करें तथा रिकार्ड मौके की यथास्थिति रखे। इसलिये वादिया को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

(क) वाके ग्राम चरणसिंह नगर स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 106 के ख.नं. 855/246 रकबा 0.11 है., ख.नं. 857/271 रकबा 1.02 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है. में एवं खाता सं. 86 के ख.नं. 34 रकबा 0.02 है., ख.नं. 35 रकबा 3.06 है. कुल किता 2 कुल रकबा 3.08 है. में वादिया को 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे एवं रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे तथा वाके ग्राम चरणसिंह नगर स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 77 के ख.नं. 292 रकबा 0.15 है. में वादिया को 1/6 हिस्से की तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/6, 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे तथा ग्राम चरणसिंह नगर स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 19 खसरा नंबर 247 रकबा 0.11 है., ख.नं. 248 रकबा 0.09 है., ख.नं. 249 रकबा 0.68 है., ख.नं. 251 रकबा 0.05 है., ख.नं. 252 रकबा 0.09 है., ख.नं. 253 रकबा 0.55 है., ख.नं. 255 रकबा 0.17 है., ख.नं. 256 रकबा 0.10 है., ख.नं. 257 रकबा 0.13 है., ख.नं. 259 रकबा 0.37 है., ख.नं. 260 रकबा 0.41 है., ख.नं. 261 रकबा 0.30 है., ख.नं. 721/244 रकबा 0.12 है., ख.नं. 819/254 रकबा 0.51 है., ख.नं. 821/254 रकबा 0.04 है., ख.नं. 823/258 रकबा 0.51 है. कुल किता 16 कुल रकबा 3.93 है. में वादिया को 1/48 हिससे की व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/48, 1/48 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजसव में अमल दरामद किया जावे एवं रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे दौराने दावा विवादित भूमि ग्राम चरणसिंह नगर स्थित खाता सं. 106 कुल किता 2 कुलरकबा 1.13 है., खाता सं. 86 कुल किता 2 कुल रकबा 3.08 है., खाता सं. 77 किता 1 रकबा 0.15 है. एवं खाता सं. 19 कुल किता 16 कुल रकबा 3.93 है. में वादिया के पुत्र महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने अकेलों के नाम से नामांतकरण दर्ज नहीं करवाये व विवादित भूमि को दौराने दावा किसी अन्य को बेचान, रहन, दान आदि ना करें व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें तथा वादिया को उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

हिस्से की भूमि काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करें व न ही अपने अनुचरों आदि से करवाये।

(ग) प्रतिवादी सं. 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह दौराने दावा विवादित भूमि वाके ग्राम चरणसिंह नगर स्थित खाता सं. 106 कुल किता 2 कुलरकबा 1.13 है., खाता सं. 86 कुल किता 2 कुल रकबा 3.08 है., खाता सं. 77 किता 1 रकबा 0.15 है. एवं खाता सं. 19 कुल किता 16 कुल रकबा 3.93 है. के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादिया सं. 1 व 2 की ओर श्री विजयपाल सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 22–03–2022 को वादिया व प्रतिवादिया सं. 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 व 4 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादिया की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 106, खाता सं. 86, खाता सं. 77 एवं खाता सं. 19 ग्राम चरणसिंह नगर, नकल नक्शा ट्रेस, सरपचं ग्राम पंचायत नंगली सलेदीसिंह का स्व. महावीर प्रसाद का वारिश प्रमाण पत्र, फोटो प्रति आधार कार्ड रामप्यारी पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. 106, खाता सं. 86, खाता सं. 77 व खाता सं. 19 में दर्ज खातेदार महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम का देहान्त हो चुका है। उक्त खातेदार महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम का देहान्त होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूची वर्ग एक के अनुसार वादिया व प्रतिवादिया सं. 1 व 2 उनके विधिक वारिश हैं तथा वादग्रस्त भूमि में मृतक महावीर प्रसाद प[illegible] के हिस्से की भूमि पर वादिया व प्रतिवादिया सं. 1 व 2 द्वारा खातेदारी अधिकार की [illegible] चाही है जो विधि सम्मत् है। इस प्रकार वादिया व प्रतिवादिया सं. 1 की ओर से प्रस्तुत आपसी सहमति राजीनामा के मुताबिक वाद वादिया स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

# आदेश

अतः ग्राम चरणसिंह नगर तहसील खेतड़ी स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 106 खसरा नंबर 855/246, 857/271 किता 2 कुल रकबा 1.13 है. में वादिया को 1/3, प्रतिवादिया सं. 1 व 2 को 1/3–1/3 हिस्से का, खाता सं. 86 खसरा नंबर 34, 35 किता 2 कुल रकबा 3.08 है. में वादिया को 1/3, प्रतिवादिया सं. 1 व 2 को 1/3–1/3 हिस्से का, खाता सं. 77 खसरा नंबर 292 रकबा 0.15 है. में वादिया को 1/6, प्रतिवादिया सं. 1 व 2 को 1/6–1/6 हिस्से का एवं खाता संख्या 19 खसरा नंबर 247, 248, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 721/244, 819/254, 821/254, 823/258 कुल किता 16 कुल रकबा 3.93 है. में वादिया को 1/48, प्रतिवादिया सं. 1 व 2 को 1/48–1/48 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24–03–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:35 IST
Reason: SelfAttested